

कार्यालय

जिला पंचायत,

अमरोहा।

पत्रांक :

/ ठेका बालू परिवहन शुल्क / 2016

दिनांक:

## नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अमरोहा में लागू जिला पंचायत अमरोहा की प्रचलित उपविधि के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में बालू लेने/एकत्रित करने/संग्रह करने (खनन के अतिरिक्त) तथा उसे जिले से बाहर ले जाने पर दुलाई वाहन शुल्क की वसूली वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि (31 मार्च 2017 तक) के लिए ठेके का सार्वजनिक नीलाम नियम- 5 के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2016 को निम्न विवरण के अनुसार किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति नीलामी शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं। नीलाम शर्तें [Jpnagar.nic.in](http://Jpnagar.nic.in) एवं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

क्र० सं०	स्थल का नाम	जमानत धनराशि	समय	नीलाम स्थल
1	गंगा नदी शिव घाट	5,00,000.00	12:00 से	जिला पंचायत कार्यालय

उपरोक्त तिथि में ठेका नीलाम न होने की दशा में पुनः सार्वजनिक नीलाम प्रत्येक सप्ताह के दिन सोमवार को 12 बजे सम्पादित किया जायेगा।

नोट :- प्रत्येक बोलीदाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र नीलाम बोली से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।



अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, अमरोहा।

कार्यालय,

जिला पंचायत,

अमरोहा।

पत्रांक- 1090 / ठेका बालू परिवहन शुल्क / 2016

दिनांक- 27/08/16

सम्पादक,

देविप्रसाद जागण सिंह-दुलान  
अमरोहा।

कृपया उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र के अगले अंक में शासकीय दर पर एक बार प्रकाशित कर बिल की दरें सूचना अधिकारी से प्रमाणित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, अमरोहा।  
उक्तदिनांक

पृसं० : / ठेका बालू परिवहन शुल्क / 2016

प्रतिलिपि:- 1- जिला अधिकारी महोदय, अमरोहा की सेवा में सादर सूचनार्थ।


2- पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु तददिनांक को कार्यालय में कम से कम दो आर्मस गार्ड तैनात करने की कृपा करें।

3- अपर जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

4- प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की वेबसाईट पर उपरोक्त ठेका नीलाम सूचना डाउनलोड करने की कृपा करें।

5- नीलाम समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि को नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु।

6- जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं प्रेषित  
उसाद-प्रचार हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, अमरोहा।